कृषि उत्पन्न बाजार समिती का सेवीवर्गीय प्रशासन

डॉ. रमा. एस. चौहान
वाणिज्य विभाग,
भवभूति महाविद्यालय,
टामगांव, जि.गोंदिया.
Email: drramachauhan@gmail.com

प्रस्तावना :—

प्रसिद्ध प्रबंधन तज्ञ डॉ.जंम्स लूंडी के अनुसार किसी भी सगठन के कर्मचारी सामान्य वेतन पर असामान्य कार्य नहीं करेंगे । इसलिए प्रत्येक संगठन के लिए उसके कर्मचारी उसकी संपत्ती महत्वपूर्ण लागत कारक होते है । कर्मचारीयों के कार्य एवं हार्दिक सहयोग पर ही संस्था की सफलता एवं असफलता निर्भर करती है । क्योंकी उनको दि जानेवाली मजदुरी, वेतन, लाभ एवं सेवाए कार्य की सुविधाए उत्पादन लागत का अभिन्न अंग है । श्रम शक्ती के अधिकतम कुशल उपयोग के लिए कर्मचारीयों की समस्याओं का अध्ययन करना, उनका मानवीय समाधान प्रस्तुत करना अनवार्य है । अत: कर्मचारी प्रबंध का वह भाग है जो कर्मचारीयों तथा अन्य श्रम जीवीयों की प्रबंध व्यवस्था से संबंध रखता है । कर्मचारी प्रबंध के अंतर्गत कई बाते सम्मिलित है । जैसे कर्मचारीयों की भरती, चुनाव, प्रशिक्षण, शारीरिक एवं मानसिक योग्यता के अनुरूप कार्य सौपना, वैज्ञानिक आधार पर मजदुरी भुगतान की व्यवस्था, श्रमीक कल्याणकारी क्रियाओं की व्यवस्था, औद्योगीक शांती स्थापित करने की प्रयत्न तथा श्रमीकों एवं कर्मचारियों की संतुष्टि हेतु हर संभव प्रयत्न आदी ।

किसी भी संगठन का सचालन कार्मीक ही करता है । निती, विधीयों, नियमों को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन जो कार्यवाही करता है वे सब कर्मचारी वर्ग द्वारा की जाती है । उपलब्ध अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग कार्य करने में योग्य एवं समर्थ नही हो तो अच्छि प्रकार सोची समझर युक्तियॉ असफल हो जाती है । जिससे संस्था का कर्मचारी संगठन अच्छा होता है । अधुरी योजना भी सफल योजना में परिवर्तीत हो जाती है ।

महाराष्ट्र राज्य कृषि उत्पन्न बाजार समिती के अपने स्वयं के सेवीवर्गीय सेवा नियम है । जिनका निर्माण समय—समय पर पंजीयक के द्वारा किया जाता है । नियमें अपनी एक सिमा होती है । वे संविधान के मुख्य प्रावधानों का उल्लंघन नही कर सकते और नहीं उनके द्वारा नागरीको के मूलभुत अधिकारों को छिना जा सकता है । नियम संविधान में दी गई परिसिमाओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते है । तथा न्यायालय को यह अधिार दिया गया है की, वे विधान से संबधित नियमो पर अंकुश रखे और उल्लंघन होने पर उन्हें अवैधानिक घोषित कर सके ।

समिती के सामान्य प्रशासन एवं श्रम विभाग :—

सेवीवर्गीय विभाग के प्रबंधका उद्दश्य कर्मचारीयों से स्वेच्छपूर्ण एवं हार्दिक सहयोग प्राप्त करते हुए उनके श्रेष्ठतमक र्य को संपादित करना है । प्राय: यह कहॉ जाता है की, सेवीवर्गीय विभाग का प्रमुख कार्य कर्मचारीयों की कार्यकारी दशाओं सुधारना है । वास्तव में यह उसका प्रमुख कर्तव्य है । कृषि उत्पन्न बाजार समिती के सेवीवर्गी विभाग का मुख्य उद्देश्य कर्मचायों के मध्य मतभेद व संदेह की भावनाओं को दूर कर सहकारीता की ओर प्रेरीत करना है ।

महाराष्ट्र राज्य कृषि उत्पन्न विकास समिती के सेवीवर्गीय कार्यक्रम के अंग :—

कृषि उत्पन्न बाजार समिती के सेवीवर्गीय प्रबंध विभाग के कार्यो को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है जो निम्नानुसार है ।

कृषि उत्पन्न बाजार समिती के कर्मचारीयों की भर्ती :—

भर्ती भावी कर्मचारीयों को खोजने एवं उन्हें उपक्रम में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है ।

कृषि उत्पन्न बाजार समिती के कुशल संचालन के लिए कर्मचारीयों की प्राप्ती की व्यवस्था करना सेवीवर्गीय विभाग का प्रथम कार्य है । यह सैद्धांनिक दृष्टिसे ही प्रथम कार्य नही है । अपितु कृषि उत्पन्न बाजार समिती के उत्तरोत्तर विकास के लिए सम्पादित किये जानेवाले महतवपूर्ण कार्यो में से एक है । कुशल कर्मचारीयों की अधिप्राप्ती एवं पूर्ती समिती की सफलता उसी पर निर्धारण करती है जिस प्रकार की मुद्रा एवं सामग्री सफलता का निर्धारण किया जाता है । कर्मचारीयों की अधिप्राप्ती में मुख्य तीन उपक्रम समाविष्ट किये जाते है ।

१) कर्मचारीयों की भर्ती करना ।
२) कर्मचारीयों का चयन करना ।
३) कर्मचारीयों को कार्य पर नियुक्त करना ।

कर्मचारीयों के भर्ती के कार्य के अंतर्गत समिती में रिक्त स्थानों के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु भावी कर्मचारीयों की खोज कि जाती है । चयन कार्य के अंतर्गत भावी कर्मचारीयों की उनकी योग्यतानुसार ऐसे कार्य के लिए चुना जाता है । जिसके लिए वे सबसे उपयुक्त होते है । कर्मचारीयों को कार्य पर नियुक्ती के अंतर्गत एक नियत कार्य सौंपा जाता है । उन्हें समिती का एक अंग बनाने प्रयास किया जाता है । समिती कर्मचारीयों की भर्ती के लिए एक ऐसी सुनियोजित निती का निर्धारण करता है जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है ।

१) कर्मचारीयों कर भर्ती मुख्यतया केंद्रिय मुख्यालय से ही किया जाए । वर्तमान समय में निम्नस्तरीय कर्मचारीयों की भर्ती संभागीय कार्यालय से भी कि जाती है, परंतु द्वितीय एवं प्रथम वर्ग के कर्मचारी मुख्यालय से ही नियुक्त किये जाते है ।
२) कृषि उत्पन्न बाजार समिती की विभिन्न संस्थाएँ, कर्मशालाएँ, कारखानों, संभाग क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारी आवश्यकताओं की सूचनाओं के अनूरूप भर्ती किये जाते है ।
३) भावी कर्मचारीयों की भर्ती के कृषि उत्पन्न बाजार समिती की ओर से आश्वासन नही दिया जाता है । और न ही सम्भावित रिक्त स्थानों के लिए त्रुटीपूर्ण बात कही जाती है ।
४) कृषि उत्पन्न बाजार समिती में भावी कर्मचारीयों की भर्ती करते समय उनकी योग्यता का मिलान कार्य कार्य संपादन हेतु अपेक्षित आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है । जिससे केवल उपयुक्त कर्मचारीयों की ही भर्ती की जा सकती है ।

श्रम परिवर्तन की समस्या में नये कर्मचारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती के विकास एवं प्रसार के लिए ही नहीं बल्कि कृषि उत्पन्न बाजार समिती के पुराने कर्मचारीयों के त्यागपत्र दिये जाने के कारण अन्य स्थान पर नौकरी ग्रहन करने के कारण, आवश्यकता के कारण वा अन्य व्यक्तीगत कारणवश रिक्त स्थानों की पूर्ती केक लिए आवश्यकता होती है । अत: ऐसी अवस्था में सेवीवर्गीय प्रबंधको कृषि उत्पन्न बाजार समिती छोड़नेवाले कर्मचारी एवं नवनिर्मित कर्मचारीयों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है ।

कृषि उत्पन्न बाजार समिती को भर्ती के कार्य के बारें में वर्तमान कार्य शक्तीरचना का अध्ययन करना पड़ता है । वर्तमान कार्य शक्ती रचना द्वारा वर्तमान रिक्त स्थानों एवं भावी कर्मचारीयों के लिए पदोन्नती की शिड़ीयॉ आदी के संबध में जानकारी मालूम हो जाती है । अपील की समस्या के अंतर्गत कृषि उत्पन्न आजार समिती के प्रबंध कई तथ्यों पर विचार करते है की कर्मचारीयों को कृषि उत्पन्न बाजार समिती और कर्मचारी समिती से क्या चाहते है ? इस क्षेत्र में संशोधक के किये गये प्रयोग एवं अनुसंधान से प्रमाणित होता है की, कृषि उत्पन्न बाजार समिती के कर्मचारी नौकरी सुरक्षा, व्यक्तीगत विकास के अवसर, कार्य की स्वतंत्रता आदी धनात्मक मूल्योंपर अधिक जोर देते है ।

अधिकारीयों को प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार :—

कृषि उत्पन्न बाजार समिती के दैनिक वित्तीय तथा प्रशासनीय कार्य के संचालन के लिए समिती के अधिकारीयों को समय—समय पर परीसंप्तीयो के अनुसार आर्थिक तथा प्रशासकिय अधिकार दिये जाते है । समिती के प्रारंभ से लेकर अभितक कई बार अधिकारों का पुन्ह निरिक्षण किया गया है ।

शासन द्वारा कुछ वर्ष पूर्व ही कृषि उत्पन्न बाजार समिती के उत्पादन एवं विपनन का कार्य सौंपा गया है । इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में अन्य योजनाये भी कार्यान्वित करने हेतू सौंपी जानेवाली है । इन बदली हुई परिस्थितीयों में यह नितांत आवश्यक है की, दैनिक कार्य की गती बढ़ाने हेतू वर्तमान वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकरों का पर्नर निरिक्षण कर उनका विकेंद्रिकरण किया जाय । इसके साथ ही राज्य शासन के निर्देशानुसार राज्य जिल्हा उद्योग केंद्र के महाराष्ट्र राज्य कृषि उत्पन्न बाजार समितीयों के ओर से एक प्रबंधक नियुक्त किया गया है । इन प्रबंधको की सेवाये समिती की मानी जायेगी । परंतु प्रशासनिक दृष्टि से संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्र के महाप्रबंध को अधिनस्त कार्य करेंगे । उसके उन्हें समुचित अधिकार देना आवश्यक है ।

प्रशासनिक अधिकार :—

संचालक मंडल को :—

१) समस्त प्रथम श्रेणी के पदों का निर्माण एवं उनपर नियुक्ती ।
२) ५० वर्ष से अधिक आयु के बाद सेवा काल में वृद्धि तथा पुन्ह रोजगार देने का अधिकार ।
३) नवनियुक्त कर्मचारी को तीन से अधिक वेतन वृद्धि का अधिकार ।
४) अन्य समस्त विशिष्ट प्रकार के मामलों में निर्णय लेने का अधिकार ।

प्रबंध संचालन एंव अन्य :—

१) ९०० रू. वेतन से कम तथा अन्य समस्त तृतीय एवं चर्तुथ पदों का निर्माण एवं भर्ती का अधिकार ।
२) प्रथम नियुक्ती का अधिकार निर्धारीत आयु में सिमा में सहुलित देने का अधिकार ।
३) नवनियुक्त कर्मचारीयों को महत्तम तीन अग्रीम वेतन वृद्धी देने का अधिकार ।
४) कर्मचारीयों को कार्य करने के लिए विशेष वेतन देने हेतू पुरस्कार देने, प्रशिक्षण पर भेजने तथा कर्मचारीयों के स्थानिकरण करने का अधिकार ।
५) अवकाश ।

वित्तीय अधिकार :—

१) दौरा कार्यक्रम के अनुमोदन का अधिकार :—

प्रबंध संचालन एवं मुख्य कार्यकारी तथा कार्यपालन यंत्रीय के लिए प्रबंध संचालक, प्रथम श्रेणी कर्मचारीयों के लिए संबंधित मुख्य कार्यकारी, समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीयों के जिए संबंधित विभाग प्रमुख है ।

२) समिती के कर्मचारीयों को छोड़कर किसी अन्य के लिए यात्रा, व्यव अथवा सलाह शुल्क देने के संबंध में १० हजार रू. तक अध्यक्ष को ५ हजार रू. तक प्रबंध संचालक को अधिकार है । साक्षात्कार हेतू आमंत्रित व्यक्ती को यात्रा भुगतान प्रदान करने का अधिकार प्रबंध सचालक को है ।

३) वेतन देयक बिलों पर हस्ताक्षर एवं पास करने का अधिकार :—

अध्यक्ष स्वयं अन्य प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों के लिए वित सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, चिकित्सा प्रतिपूर्ती बिलो के भुगतान का अधिकार वित्तीय सलाहकार एवं अधिकारी को है ।

श्रम कल्याण योजना :—

कर्मचारीयों को श्रम के प्रतीफल के रूप में प्रत्येक्ष रूप से महगाई भत्ता अधिक प्राप्त होते ही है परंतु अप्रत्यक्ष रूप से चिकित्सा, आवास, परीवहन सुविधा, बिमा, भविष्य निधी आदी के रूप में अनेक पूरक लाभ प्राप्त होते है । उनका दोनोही दृष्टिसे बड़ा महत्व होता है । उद्योग दृष्टिसे यह श्रम पर अतिरिक्त व्यय होता है । जो की वह कर्मचारी संतुष्टि के लिए व्यव करता है । यदी कर्मचारी को उपरोक्त सेवाओं के बदले नगद में किया जाय तो कई कर्मचारी इसका दुरूप्योग कर सकते है । अर्त: उपरोक्त सेवाओं का प्रत्येक्ष लाभ उसके परीवार को या उसे स्वये प्रापत होता है । इसलिए कुछ श्रम विशेषज्ञ कर्मचारीयों नगद वेतन अधिक दिये जाने के स्थान पर अधिक सुविधायें प्रदन करनके पक्ष में है ।

उपसंहार :—

कृषि उत्पन्न बाजार समिती का सेवीवर्गीय प्रशासन प्रसिद्ध प्रबंधतज्ञ डॉ.जेम्स लूंडी के अनुसार किसी भी संगठन के कर्मचारी सामान्य वेतन पर असामान्य कार्य नही करेंगे । कर्मचारी प्रबंध के अंतर्गत कई बाते सम्मीलित है जैसे कर्मचारीयों की भर्ती, चुनाव, प्रशिक्षण, शारीरीक एवं मानसिक योग्यता के अनुरूप कार्य सौपना, श्रमीक कल्याणकारी क्रियाओं की व्यवस्था, औद्योगीक शांती प्राप्ती करना तथा श्रमीक एवं कर्मचारीयों की संतुष्टि हेतू हर संभव प्रयत्न आदी । उपरोक्त समस्त कार्यो का सुव्यवस्थित नियोजन एवं विवेकपूर्ण क्रियान्वय ही कर्मचारी प्रबंधन है ।

संदर्भ ग्रथ :—

- योगेंद्रप्रसाद वर्मा, व्यवसाय संगठन प्रबंध व प्रशासन, रामनगर यशचंद्र एंड कंपनी, नई दल्ली — १९९९
- एड.अभय सेलकर, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्रि अधिनियम, नाशिक ला हाऊस औरंगाबाद — २०१०
- जगतराव सोनवान, कर्मचारी मार्गदर्शक, सौ.चंद्रकला सोनवाने देवपूर धुळे — १९९०
- एड.वसंत भनगे, करार कायदा आणि नमुने, रमेश सेठी, पुणे — १९९८
- दुर्गादयाल निगम, भारत की आर्थिक प्रगती, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद — १९९८
- वी.सी. सिन्हा, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास संगठन, लोकभारती प्रकाशन